केंद्रीय सूचना आयोग से शिकायत के संदर्भ में कुछ प्रश्न

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत राजनीतिक दल सूचना अधिकार के अंतर्गत हों

प्रश्न : राजनीतिक दलों को सार्वजनिक अधिकारियों के रूप में घोषित करने की क्या जरुरत है ?

उत्तर : राजनीतिक दलों का आम जनता के साथ आंतरिक सांठ गांठ होती है लेकिन वर्तमान परिद्श्य को देखा जाये तो राजनीतिक दलों में आंतरिक भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और साथ ही आम नागरिक से दुरी | पारदर्शिता और जवाबदेही इसलिए बहुत जरुरी हैं क्योंकि जनता का विश्वास घट रहा है, जबकि जनता का देश के हित में निर्णय लेने में भागीदार होना बहुत जरुरी है |

प्रश्न : शिकायत कहाँ से दर्ज कराई है और इसकी प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर : आरटीआई अधिनियम की धारा 18 के तहत केंद्रीय सुचना आयोग में यह शिकायत पंजीकृत है| राजनीतिक दलों द्वारा एडीआर के प्रश्नों का उत्तर न देने पर इनकी सीधी शिकायत सूचना आयोग में की गयी है |

प्रश्न : वे तर्क समर्थन बिंदु क्या थे जिसमें राजनीतिक दलों को सार्वजानिक अधिकारियों के तहत आना पड़े ?
उत्तर : एडीआर ने निम्नलिखित बिन्दुओं को प्रस्तुत किया :

- राजनीतिक दल पीपुल्स प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 A के अंतर्गत आते है |
- सूचना का अधिकार कानून की प्रस्तावना में उसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही का है |
- सविधान की दशवी अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को संवैधानिक संस्था का प्रारूप बना दिया गया है | दशवी अनुसूची के तहत राजनीतिक दल को किसी भी विधायक/सांसद को अयोग्य करने का अधिकार है |
- राजनीतिक दल अप्रत्शयक्ष रूप से सरकारी धन का उपयोग करते है |

  विभिन्न आरटीआई आवेदनों को केंद्रीय संस्थाओं में दायर करने के बाद यह पता चला हैं कि राजनीतिक दलों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए सुविधाएँ का उपयोग अभी तक हो रहा हैं | इससे यह सपष्ट होता होता हैं कि सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से धनराशि प्रदान की गई है |
- आयकर अधिनियम की धारा 13A के तहत राजनीतिक दलों को 100% आयकर की छूट होती है |
- सम्पदा निर्देशालय और भारत सरकार द्वारा सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को नई दिल्ली में आवासीय और सरकारी कार्यालयों कि सुविधाएं प्रदान कि गयी है | दिल्ली में राजनीतिक दलों को आवासीय और कार्यालयों के लिए अकबर रोड, रायसेन रोड, चाणक्यपुरी आदि मुख्य इलाकों में जमीं दी गयी हैं |
  इन आवासीय और कार्यालयों का किराया बाजार के किराये से भिन्न या बहुत कम हैं | यह किराया बाजारी किराये का मात्र एक अंश है | केवल यही सुबिधायें ही नही बल्कि इनके रखरखाव, नवीनीकरण, आधुनिकरण आदि का खर्चा भी राज्य ही व्यय करता है |

- चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र मतदाता सूचि और राजनीतिक दलों कि सुबिधाओं के लिए धन व्यय किया जाता है | दूरदर्शन और आल इंडिया रेडिओ चुनाव के दौरान प्रसारण के लिए बाजार कि तुलना में बहुत ही कम दर में सुविधाएं प्रदान करती है |
- राजनीतिक दलों का संदर्भ सार्वजानिक समारोह, सार्वजानिक प्रयोजन और व्यापक जनहित के लिए होता है |
- लोकतंत्र में नागरिकों कि भूमिका केवल अपने सांसद और विधायक के चुनावों तक ही सिमित नहीं होनी चाहिए. लोकतंत्र में प्रतिनिधि का मौलिक आयाम, सरकार की जवाबदेही और कानून और नीतियों का निर्धारण करना तथा कानून के नियमों का पालन करना होता है |

प्रश्न : राजनीतिक दल यदि सार्वजनिक अधिकारियों के तहत हो तो उनसे नई जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?

उत्तर : निम्नलिखित जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं :

- दलों की अंदरुनी कामकाज
- चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रणाली
- धन के स्त्रोत
- बाहुबल एवं धनबल की जाँच

प्रश्न : आरटीआई के तहत शिकायत करने के पश्चात से अंतिम निर्णय मिलने तक कितना समय लगता हैं ?

उत्तर : मामला केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित होने पर निर्भर करता हैं | जब एक बार शिकायत दाखिल हो जाती हैं तो डायरी संख्या दी जाती हैं और उसके बाद फाइल संख्या दी जाती हैं | इसके बाद में यह शिकायत आयुकत के टेबल में आता है | किसी भी प्रश्न, अनुरोध या प्रस्तुतियाँ के लिए सुचना आयुक्त के साथ एक उप रजिस्ट्रार होता है | एडीआर द्वारा 14 मार्च 2011 को एक शिकायत दायर की गयी थी और इसकी सुनवाई 26 सितम्बर 2012 को हुई और सूचना आयोग द्वारा इसका आदेश, नवंबर 2012 में दिया गया |